संख्या–1381/आठ–3–11–04महा/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक: अप्रैल,2011

विषयः महायोजना तैयार किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम,1973 की धारा–8, 10 एवं 11 के अधीन महायोजना तैयार किये जाने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा–11 के अधीन निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रारूप महायोजना पर जनता,हितबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है, जिनकी सुनवाई और निस्तारण के लिए शासन द्वारा संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। उक्त समिति द्वारा आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई के उपरांत अपनी संस्तुतियां प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाती है और बोर्ड के अनुमोदनोपरांत महायोजना शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाने वाली समिति की संस्तुतियों तथा महायोजना प्रस्तावों में एकरूपता होना आवश्यक है, जिसे सुनिश्चित करने हेतु संस्तुतियों के साथ–साथ महायोजना मानचित्र पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अतएव कृपया समिति की संस्तुतियों के अनुरूप महायोजना का भू–उपयोग मानचित्र तैयार किया जाय, जो समिति के समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा और तदुपरान्त ही महायोजना प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अन्तिम निर्णय/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाय। उक्त

व्यवस्था क्षेत्रीय विकास योजना (जोनल डेवलपमेन्ट प्लान) की संरचना के संबंध में भी लागू होगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष,समस्त विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश।
3. नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन),आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करते हुए सम्बन्धित को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव